an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Papers to be Laid on the Table.

Shri Ravi Shankar Prasad.

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) अर्नेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अर्नेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2717/16/15]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : महोदया, मैं श्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह की ओर से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 5) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2718/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): I beg to lay on the Table a copy each of the following Ordinances (Hindi and English versions) under Article 123 (2) (a) of the Constitution:--

(1) The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Ordinance, 2015 (No. 5 of 2015) promulgated by the President on 30th May, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2719/16/15]

(2) The Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015 (No. 6 of 2015) promulgated by the President on 15th June, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 2720/16/15]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2721/16/15]

(2) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2015 जो 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 491(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2722/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टैक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टैक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2723/16/15]

<u>12.07 hrs</u>

MESSAGE FROM RAJYA SABHA